झारखण्ड विधान सभा
दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–04

त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र
बुधवार, दिनांकः–20 दिसम्बर, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 03:30 अप० तक।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–69

(क) उत्तरित कुल–01	अ0सू0–14,	श्री दशरथ गागराई,	स0वि0स0 (19.12.2023 से स्थगित)
	अ0सू0–18,	श्री समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0
(ख) स्थगित कुल–01	अ0सू0–22	डॉ0 सरफराज अहमद	स0वि0स0 (21.12.2023 के लिए स्थगित)
(ग) अनागत कुल–67	क्रम संख्या–114 से 180 तक।		

2. सूचना

1. माननीय सदस्य श्री अमित कुमार मण्डल ने सूचना के माध्यम से कहा कि कल तीन माननीय सदस्यों को निलंबित किया गया है। आग्रह होगा कि इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निलंबन वापस लिया जाय। इसी क्रम में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी निलंबन वापसी के लिए आसन से आग्रह किया।
2. माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो ने सूचना दिया कि धनबाद एवं उसके आस–पास अवैध माईनिंग से हजारों गरीब मजदूर एवं आदिवासियों की जान चली गयी है। अवैध खनन करने वाले के विरूद्ध उच्चस्तरीय जांच कराते हुए उनपर कठोर कार्रवाई की जाय।

(शोरगुल के कारण सदन 11:23 बजे पूर्वा0 में 12:30 बजे अप0 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।)

(स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मी/संविदा कर्मी/आउट सोर्सिंग के लंबित मांगों, उनके स्थायी समायोजन तथा नियोजन नीति स्पष्ट करने एवं माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल द्वारा परस्पर कई विषयों को शामिल करते हुए कार्यस्थगन की सूचना दिया जाना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया गया। साथ ही माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा राज्य के बोकारो तथा रामगढ़ जिले में वन अधिकार पट्टा हेतु दावा प्रपत्रों के शीघ्र निष्पादन करने संबंधी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया, जिसे अन्य माध्यम से भी सभा में लाये जाने के अवसर उपलब्ध होने के कारण अमान्य कर दिया गया।

4. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
श्री सरयू राय	स0वि0स0

श्री उमा शंकर अकेला	स0वि0स0
श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्री भूषण बड़ा	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्रीमती पूर्णिमा निरज सिंह	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
श्री समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
श्री विनोद कुमार सिंह	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स0वि0स0
श्री भूषण तिर्की	स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0
श्री अनन्त कुमार ओझा	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
श्री प्रदीप यादव	स0वि0स0
श्री अमित कुमार यादव	स0वि0स0
श्रीमती सुनिता चौधरी	स0वि0स0

- माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने व्यवस्था के संबंध आसन से आग्रह किया कि आपके द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव को यह कहते हुए अमान्य किया जाता है कि यह नियमानुकूल नहीं है। कृपया इन नियमों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए साथ ही उन्होंने शून्यकाल के संबंध में भी नियमों का हवाला देते हुए आग्रह किया कि यह 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, परन्तु कई माननीय सदस्यों द्वारा इन शब्द–सीमाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है।
- माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने व्यवस्था के प्रश्न पर आसन से आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन में भारी शोर–शराबा एवं वेल में धरना देना असंवैधानिक कृत्य है एवं समानान्तर व्यवस्था चलाना है, जिसपर कार्रवाई की जानी चाहिए।)

5. आसन से नियमन

आसन से नियमन दिया गया कि शून्यकाल की सूचनाएं 50 शब्दों में सीमित होगा।

6. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा झारखण्ड सरकार का संकल्प संख्या–1938, दिनांक–20.04.2021 की एक प्रति सभा पटल पर रखा गया।

7. आसन से सूचना

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–263(1) के तहत दिनांक–15.12.2023 से 19.12.2023 तक स्वीकृत कुल 19(उन्नीस) निवेदन को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेजा जाय।

8. सभा मेज पर प्रतिवेदन का उपस्थापन

आसन से पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत माननीय सभापति श्री सरयू द्वारा सरकारी उपक्रमो संबंधी समिति का 28वाँ प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

9. विधायी कार्य

(क) ''झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022''

माननीय प्रभारी मंत्री कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा उपर्युक्त विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करने का प्रस्ताव किया गया, जिसे सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत किया गया।

(ख) ''प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023''

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत विधेयक के ''खण्ड–02'' में संशोधन का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के ''खण्ड–02'', ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' एवं ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् ध्वनिमत से सभा द्वारा **''प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023''** स्वीकृत हुआ।

(ग) ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023''

माननीय प्रभारी मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत विधेयक को ''प्रवर समिति'' में भेजे जाने का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो के द्वारा विधेयक के ''खण्ड–02'' की उपधारा–03 में संशोधन का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के ''खण्ड–02'', ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' एवं ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् ध्वनिमत से सभा द्वारा **''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023''** स्वीकृत हुआ।

(घ) ''शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023''

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत विधेयक को ''प्रवर समिति'' में भेजे जाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–''02'' से खण्ड–''46'', ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' एवं ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् ध्वनिमत से सभा द्वारा **"शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023"** स्वीकृत हुआ।

इसी क्रम में कतिपय माननीय सदस्यों ने सूचना दिया कि–

- माननीय सदस्य डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सदन को सूचित किया कि पांकी प्रखण्ड के डेमा गांव, जो एस0/एस0टी0 की वस्ती है और यह वर्ष 1800 से पहले का है। एक विशेष समुदाय के लोग वहां की जमीन तथा नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय की जमीन का फर्जी कागजात बनवाकर बंदोबस्त करवा लिये हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध है कि इस पर संज्ञान लें। तदुपरान्त माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने उक्त विषय पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया।
- माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल ने सदन को सूचित किया कि हजारीबाग जिलान्तर्गत शिक्षा विभाग में भारी पैमाने पर वस्त्र खरीदने में घोटाला किया गया है। वहाँ के डी0एस0ई0 द्वारा एक लाख बहत्तर हजार बच्चों के वस्त्रों की खरीद में लगभग बारह करोड़ रूपये का घोटाला किया गया है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों से इस राशि की वसूली की जाय।
- माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने सूचित किया कि वृहद झारखण्ड आंदोलन की लड़ाई में झारखण्ड के अलावा बंगाल, ओड़िसा, छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। अतः उन्हें भी आंदोलनकारियों के आश्रितों की श्रेणी में आच्छादित करने की व्यवस्था की जाय।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक–21 दिसम्बर, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–20 मार्च, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।